BULANDSHAHR POLICE

दिनांक 19 मार्च 2024

"ऑपरेशन कन्विक्शन" अभियान के क्रम में बुलन्दशहर पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी कर हत्या के आरोपी को 14 वर्ष का कठोर कारावास व 20 हजार रूपये के अर्थदण्ड की सजा दिलवायी गयीः-

अवगत कराना है कि अभियुक्त पुष्कल उर्फ अंकित सिरोही पुत्र राजवीर सिंह निवासी ग्राम ढिकौली थाना बीबी नगर जनपद बुलन्दशहर द्वारा वर्ष- 2018 में थाना बीबीनगर क्षेत्र निवासी 02 लड़कियों की गला घोटकर हत्या कर शव को जलाने की दुस्साहसिक घटना कारित की गयी थी जिसके सम्बन्ध में दिनांक 02.02.2018 को थाना बीबी नगर पर मुअसं – 57/18 धारा- 302/201 भादवि पंजीकृत किया गया तथा दिनांक 15.04.2018 को पुलिस द्वारा मा0 न्यायालय में आरोप पत्र प्रेषित किया गया। इस अभियोग को श्रीमान पुलिस महानिदेशक महोदय, उ0प्र0 द्वारा चलाये जा रहे अभियान "ऑपरेशन कन्विक्शन"के अन्तर्गत चिन्हित करते हुए मॉनीटरिंग सैल बुलन्दशहर द्वारा मा0 न्यायालय में सशक्त, प्रभावी पैरवी कर अभियोजन की कार्यवाही सम्पन्न करायी गई जिसमें अभियुक्त के विरुद्ध 19 गवाह परिक्षित हुए जिसके परिणामस्वरुप **आज दिनांक 19.03.2024 को मा0 न्यायालय एडीजे/एफटीसी-01 जनपद बुलन्दशहर द्वारा दोष सिद्ध पाये जाने पर अभियुक्त पुष्कल उर्फ अंकित सिरोही को 14 वर्ष का कठोर कारावास व 20 हजार रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।** अभियोजन पक्ष की ओर से पैरवी करने वाले अभियोजक श्री केशव देव शर्मा का योगदान सराहनीय रहा है। प्रभावी पैरवी कर अभियुक्त को सजा दिलाना बुलन्दशहर पुलिस की बड़ी सफलता है।

मीडिया सेल बुलन्दशहर